



न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री हनुमानराम चौधरी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 06/2019

दायर दिनांक 08.01.2019

सत्यमेव जयते वादी	बनाम्	प्रतिवादीगण
<ol style="list-style-type: none"> आशाराम पुत्र रामगोपाल उर्फ गोपीकिशन उम्र 66 वर्ष रामअवतार काकड़ा पुत्र पुसाराम उम्र 37 वर्ष समस्त जाति ब्राहमण निवासीगण कोलिया, तहसील- डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान। 		<ol style="list-style-type: none"> रामदेव दत्तक पुत्र मदनलाल अमरचन्द पुत्र रामगोपाल उर्फ गोपीकिशन गंगा देवी बेवा रामगोपाल उर्फ गोपीकिशन पुष्पा देवी पुत्री रामगोपाल उर्फ गोपीकिशन विमला देवी पुत्री रामगोपाल उर्फ गोपीकिशन इन्द्रादेवी उर्फ चम्पादेवी पुत्री रामगोपाल उर्फ गोपीकिशन चन्द्रप्रकाश पुत्र स्व0 पुसाराम मोहनी देवी बेवा स्व. पुसाराम जतिन पुत्र पवन कुमार उम्र 13 वर्ष यश पुत्र पवन कुमार उम्र 7 वर्ष नाबालिक जरिये कुदरती वलिया माता विनिता बेवा स्व. पवन कुमार उम्र 35 वर्ष विनिता बेवा पवन कुमार उम्र 35 वर्ष समस्त जाति ब्राहमण निवासी कोलिया, तहसील डीडवाना, जिला नागौर राज0। तहसील डीडवाना, जिला नागौर।

दावा बाबत

घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा- 88, 188 R.T.Act.


उपस्थित:-

- श्री अजीत सिंह राठौड़ वकील वादी
- श्री महावीर चतुर्वेदी वकील प्रतिवादी

-:: निर्णय ::-

दिनांक 06.04.2021

सरहद कोलिया खेत खसरा नम्बर 54 रकबा 10 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 150 रकबा 07 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 1267 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 1426 रकबा 06 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 1511 रकबा 10 बीघा 06 बिस्वा, व खसरा नम्बर 1519 रकबा 07 बीघा 13 बिस्वा कुल रकबा 42 बीघा 16 बिस्वा तथा वाके सरहद रघुनाथपुरा खेत खसरा नम्बर 389 रकबा 11 बीघा 18 बिस्वा भूमि का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन


सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)




प्रस्तावित करने बाबत दिनांक 29.10.2020 को तहसीलदार डीडवाना को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांक: 265 दिनांक 16.03.2021 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तावित बंटवारा पर पक्षकारान् सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 265 दिनांक 16.03.2021 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है।


—:: आदेश ::—

दावा डिक्री सादिर कर, वाके सरहद कोलिया खेत खसरा नम्बर 54 रकबा 10 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 150 रकबा 07 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 1267 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 1426 रकबा 06 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 1511 रकबा 10 बीघा 06 बिस्वा, व खसरा नम्बर 1519 रकबा 07 बीघा 13 बिस्वा कुल रकबा 42 बीघा 16 बिस्वा तथा वाके सरहद रघुनाथपुरा खेत खसरा नम्बर 389 रकबा 11 बीघा 18 बिस्वा भूमि का "बाईमिट्स एण्ड बाउण्ड्स" के बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 265 दिनांक 16.03.2021 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 265 दिनांक 16.03.2021 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।


(हनुमानराम चौधरी)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
डी.सहायक (कलक्टर)
डी.डवाना

निर्णय आज दिनांक 06.04.2021 को सरे इजलास में सुनाया गया।


(हनुमानराम चौधरी)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
डी.सहायक (कलक्टर)
डी.डवाना

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री अंशुल सिंह, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 06/2019

दायर दिनांक 08.01.2019

वादी	प्रतिवादीगण
1. आशाराम पुत्र रामगोपाल उर्फ गोपीकिशन उम्र 66 वर्ष 2. रामअवतार काकड़ा पुत्र पुसाराम उम्र 37 वर्ष समस्त जाति ब्राहमण निवासीगण कोलिया, तहसील- डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	1. रामदेव दत्तक पुत्र मदनलाल 2. अमरचन्द्र पुत्र रामगोपाल उर्फ गोपीकिशन 3. गंगा देवी बैवा रामगोपाल उर्फ गोपीकिशन 4. पुष्पा देवी पुत्री रामगोपाल उर्फ गोपीकिशन 5. विमला देवी पुत्री रामगोपाल उर्फ गोपीकिशन 6. इन्द्रादेवी उर्फ चम्पादेवी पुत्री रामगोपाल उर्फ गोपीकिशन 7. चन्द्रप्रकाश पुत्र स्व० पुसाराम 8. मोहनी देवी बैवा स्व. पुसाराम 9. जतिन पुत्र पवन कुमार उम्र 13 वर्ष 10. यश पुत्र पवन कुमार उम्र 7 वर्ष नाबालिक जरिये कुदरती वलिया माता विनिता बैवा स्व. पवन कुमार उम्र 35 वर्ष 11. विनिता बैवा पवन कुमार उम्र 35 वर्ष समस्त जाति ब्राहमण निवासी कोलिया, तहसील डीडवाना, जिला नागौर राज०। 12. तहसील डीडवाना, जिला नागौर।
बनाम्	

दावा बाबत

घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा-53, 88, 188 R.T.Act.

दिनांक 06.04.2021

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री अजीत सिंह राठौड़ वकील, वादी व श्री महावीर चतुर्वेदी वकील प्रतिवादी की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, दावा डिक्री सादिर कर, सरहद कोलिया खेत खसरा नम्बर 54 रकबा 10 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 150 रकबा 07 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 1267 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 1426 रकबा 06 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 1511 रकबा 10 बीघा 06 बिस्वा, व खसरा नम्बर 1519 रकबा 07 बीघा 13 बिस्वा कुल रकबा 42 बीघा 16 बिस्वा तथा वाके सरहद रघुनाथपुरा खेत खसरा नम्बर 389 रकबा 11 बीघा 18 बिस्वा भूमि का "बाईमिट्स एण्ड बाउण्ड्स" के बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 265 दिनांक 16.03.2021 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।


विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 265 दिनांक 16.03.2021 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....
खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा
 करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व
 मुहर अदालत के आज की तारीख 06.04.2021 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुदायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुताफर्रिक	-	-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुताफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।


 सहायक कलेक्टर
 डीडवाना
 डीडवाना (नागौर)